वादी

बनाम

1. देवीलाल पिता किसाना जाति धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ
3. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.धाकड
अधिवक्ता वादी
श्री वी.के.चतुर्वेदी
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 07/6/2021

निर्णय वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री धाकड द्वारा वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक अपने अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
197	203	0.0810
	204	0.1940
	207	0.8810
	210	0.3160
	229	0.0160
	233	0.2100
	240	0.1290
	242	0.1460
	244	0.2100
	245	0.2430
	248	0.0730
	250	0.4050
	262	0.3890
	263	0.5100
	273	0.2270
किता–	15	4.0300 हैक्टर

उपरोक्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा होकर हिस्से अनुसार अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी का भूमि पर आपसी रजामंदी से मौके पर तो विभाजन है परन्तु राजस्व रेकार्ड में आराजीयात संयुक्त खातेदारी में [illegible] चली आ रही है इस कारण से प्रत्येक खातेदार को भूमि पर [illegible] लेने में दिक्कत आती है एवं भूमि का लगान अदा करने में भी खोदारान में विवाद होता रहता है इस कारण वादी ने खातेदार प्रतिवादी संख्या एक को दिनांक 28.11.2018 को तहसील में चल कर भूमि का राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराने हेतु कहा इस पर प्रतिवादी ने अपनी सहमति नहीं दी और भूमि का रेकार्ड अनुसार भौतिक रूप से विभाजन किये जाने से इन्कार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:48 IST
Reason: SelfAttested

-----लगातार

संयुक्त खातेदारी की आराजी का मिट्स एण्ड बाउंडस एवं कब्जे के आधार पवर वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

(ख) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी पृथक पृथक रूप से खाता अलग दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो वो भी प्रदान कराया जावें।

वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वी.के. चतुर्वेदी द्वारा अपना वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए ईकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का विभाजन करा खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रकरण में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का ईकबालिया जवाब दावा प्राप्त होने के पश्चात वादी रामचन्द्र की साक्ष्य ली जाकर दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। पत्रावली वादी साक्ष्य प्रस्तुत होने एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से बहस अधिवक्तागण की सुनी गई तथा दिनांक 14.08.2019 को निम्नानुसार दावा प्राथमिक डिक्री किया गया :

" **अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित ग्राम मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजीयात खाता संख्या 197 में अंकित आराजी नम्बर क्रमशः 203 रकबा 0.0810 है0, आराजी नं0 204 रकबा 0.1940 है0, आराजी नं0 207 रकबा 0.8810 है0, आराजी नं0 210 रकबा 0.3160 है0, आराजी नं0 229 रकबा 0.0160 है0,आराजी नं0 233 रकबा 0. 2100 है0, आराजी नं0 240 रकबा 0.1290 है0, आराजी नं0 242 रकबा 0.1460 है0, आराजी नं0 244 रकबा 0.2100 है0,आराजी नं0 245 रकबा 0.2430 है0, आराजी नं0 248 रकबा 0.0730 है0,आराजी नं0 250 रकबा 0.4050 है0 ,आराजी नं0 262 रकबा 0. 3890 है0, आराजी नं0 263 रकबा 0.5100 है0, आराजी नं0 273 रकबा 0.2270 है0, कुल किता–15 रकबा 4.0300 हैक्टर भूमि मे वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 हक हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस जिसमें रास्ते का उल्लेख करते हुए बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000 रूपये मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में दिनांक 10.09. 2019 को भिजवाने हेतु डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है**"

दावा पत्रावली में न्यायालय के प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके पत्र क्रमांक /राजस्व/2021/66 दिनांक 18.01.2021 के साथ संलग्न फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में प्रस्तुत की गई। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की बहस को सुना गया जिन्होने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुसार होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाकर खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज कराये जाने का [illegible] अपनी बहस में किया है। वादी का वाद पत्र मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट [illegible] किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा के खाता संख्या 197 में वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाने के आदेश दिये जाता हैः–

-----लगातार

204	0.0970	
207	0.4255	15.02
210	0.1580	5.38
229	0.0080	0.2728
233	0.1050	3.58
240	0.0645	2.00
242	0.0730	2.28
244	0.1050	3.58
245	0.1215	4.14
248	0.0365	1.04
250	0.2025	0.50
262	0.1945	1.69
263	0.2550	0.64
273	0.1135	3.87
किता–15	2.00 हैक्टर	44.36

प्रतिवादी देवीलाल पिता किशना धाकड सा0देह खातेदार के खाते में :

आराजी नम्बर में से	रकबा	लगान
203	0.0405	0.1013
204	0.0970	0.2425
207	0.4255	15.02
210	0.1580	5.38
229	0.0080	0.2728
233	0.1050	3.58
240	0.0645	2.00
242	0.0730	2.28
244	0.1050	3.58
245	0.1215	4.14
248	0.0365	1.04
250	0.2025	0.50
262	0.1945	1.69
263	0.2550	0.64
273	0.1135	3.87
किता–15	2.00 हैक्टर	44.37

श्री रामचन्द पिता दौलतराम धाकड व देवीलाल पिता किशना धाकड सा0देह खातेदार के नाम रास्ता शामलाती रहेगा :

आराजी नम्बर में से	रकबा	लगान
207 मे से	0.0300	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2021 को लिखा कर जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:48 IST
Reason: SelfAttested

7/6/2021
(नरेन्द्र कुमार मीना)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

-----लगातार

बनाम

1. देवीलाल पिता किसाना जाति धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ
3. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.धाकड की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वी.के. चतुर्वेदी की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 07.06.2021 को पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीणा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा के खाता संख्या 197 में वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाने के आदेश दिये जाता है:–

वादी रामचन्द्र पिता दौलतराम धाकड सा0 देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. शाखा बेगूँ के हिस्से

आराजी नम्बर में से	रकबा	लगान
203	0.0405	0.1013
204	0.0970	0.2425
207	0.4255	15.02
210	0.1580	5.38
229	0.0080	0.2728
233	0.1050	3.58
240	0.0645	2.00
242	0.0730	2.28
244	0.1050	3.58
245	0.1215	4.14
248	0.0365	1.04
250	0.2025	0.50
262	0.1945	1.69
263	0.2550	0.64
273	0.1135	3.87
किता–15	2.00 हैक्टर	44.365

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:48 IST
Reason: SelfAttested

[वा]दी देवीलाल पिता किशना धाकड सा0देह खातेदार के खाते में :

[आरा]जी नम्बर में से	रकबा	लगान
[2]03	0.0405	0.1013
204	0.0970	0.2425
207	0.4255	15.02
210	0.1580	5.38
229	0.0080	0.2728
233	0.1050	3.58
240	0.0645	2.00
242	0.0730	2.28
244	0.1050	3.58
245	0.1215	4.14
248	0.0365	1.04
250	0.2025	0.50
262	0.1945	1.69
263	0.2550	0.64
273	0.1135	3.87
किता–15	2.00 हैक्टर	44.365

श्री रामचन्द पिता दौलतराम धाकड व देवीलाल पिता किशना धाकड सा0देह खातेदार के नाम रास्ता शामलाती रहेगा :

आराजी नम्बर में से	रकबा	लगान
207 मे से	0.0300	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 07.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

7/6/2021

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/रविस्ता/ -140

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को अंतिम डिकी मय नक्शाट्रेस के साथ पालना हेतु भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

7/6/2021

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:48 IST
Reason: SelfAttested